HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए उत्कोच लेने के मामले मे 03 आरोपियो को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 17- 17 हजार रुपये (कुल-51,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 03.09.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा उत्कोच लेने के मामले मे 03 आरोपियो को दण्डित कराया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

- अभियुक्त राजकुमार त्यागी पुत्र चन्द्रकिरण त्यागी निवासी कस्बा व थाना खरखौदा जनपद मेरठ 2. सुरजीत कुमार पुत्र सुरेशपाल सिंह निवासी ग्राम नन्हेडा थाना भोपा जनपद मु0नगर 3. प्रवीण कुमार चौधरी पुत्र हरीशचन्द्र निवासी ग्राम सेतकुआ थाना खरखौदा जनपद मेरठ द्वारा वादी को डरा-धमकाकर 10,000/. रूपये उत्कोच(रिश्वत) लेने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 734/2022 धारा 384, 506 भादवि 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.02.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 03.09.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एसी प्रथम मेरठ द्वारा 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 17- 17 हजार रुपये (कुल-51,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री बंगाली (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक श्री अशोक कुमार सिसौदिया, कोर्ट पैरोकार म0है0का0 अनिता शर्मा, कोर्ट मोहर्रिर का0 2440 जितेन्द्र कुमार का विशेष योगदान रहा।